अध्याय–3 :
जिला योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन

अध्याय-3 : जिला योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन

3.1 जिला योजना समिति एवं जिला योजना

भारत सरकार ने जिलों के विकासार्थ समावेशित व सहभागिता योजना प्रक्रिया पर विचार किया। भारत के संविधान के 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिले का मंत्री तथा सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद्, भूतपूर्व विधायक तथा गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य व्यक्ति शामिल हैं, की स्थापना का अधिकार दिया गया। जिला योजना समिति से जिले में पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को एकीकृत जिला योजना में समेकित करना अपेक्षित था। स्थानीय प्रशासन के सभी तीन स्तरों अर्थात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खण्डों तथा ग्राम पंचायतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पूर्ववर्ती वर्ष में आबंटित निधियों के उनके भाग के लगभग 125 *प्रतिशत* के मूल्य के बराबर वार्षिक कार्य योजना बनानी थी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना था जो वार्षिक कार्य योजना का भाग न हो।

तथापि, यह देखा गया कि किन्नौर जिले में जुलाई 2012 तक जिला योजना समिति की स्थापना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, 2007-12 अवधि के दौरान कोई सापेक्ष एवं एकीकृत जिला योजना तैयार नहीं की गई थी। खण्डों तथा ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय स्तर के प्रशासन को योजना प्रक्रिया हेतु किसी सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में सम्मिलित नहीं किया गया था। स्कीमों को स्थानीय लोगों के अनुभूत लाभ के अनुसार सांसदों/ विधायकों/ अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उपायुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किया गया।

उपायुक्त, किन्नौर ने बताया (जुलाई 2012) कि योजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविधान के 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समिति का गठन करना अनिवार्य था। इस प्रकार, जिले के विकास हेतु खण्डों तथा ग्राम पंचायतों से सूचनाओं सहित जिला योजना समिति द्वारा तैयार की जाने वाली सापेक्ष योजनाओं तथा एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं के अभाव में स्थानीय जरूरतों की आवश्यकता की पहचान नहीं की जा सकी।

सिफारिश

- *सरकार जिला योजना समिति का गठन करने तथा जिले के विकास हेतु आवश्यकताओं के अधिक यथार्थिक निर्धारण हेतु खण्डों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचनाओं को प्राप्त करने की निर्मित प्रक्रिया के आधार पर जिले के लिए वास्तविक एकीकृत वार्षिक योजनाओं को तैयार करने पर विचार करे।*

3.2 वित्तीय प्रबन्धन

विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधियों को राज्य बजट के माध्यम से जिले को आबंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य व भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों हेतु निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा कार्यकारी अभिकरणों को जारी किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियों को निजी स्कीमों हेतु अनुमोदित आबंटन के आधार पर खण्डों और अन्य निष्पादन अभिकरणों को जारी करता है।

3.2.1 निधियों के प्रवाह एवं किए गए व्यय में कमी

2007-12 के दौरान जिले को निधियों का कुल प्रवाह तथा किया गया व्यय उपायुक्त/ परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसे अन्य जिला प्राधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था क्योंकि ऐसे किसी डाटाबेस को अनुरक्षित नहीं किया गया था। तथापि, 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विभागों तथा प्रमुख कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्राप्त निधियों और किए गए व्यय के डाटा लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों से एकत्रित किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.1** में है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने ₹ 290.30 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की। तथापि, पूर्वोक्त अवधि के दौरान ₹ 280.95 करोड़ की राशि व्यय की गई। इस प्रकार, 2007-08 से 2011-12 के दौरान निधियों को व्यय करने में ₹ 9.35 करोड़ की समग्र कमी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कई मामलों में मानव शक्ति प्रतिबन्ध तथा सीमित कार्य अवधि के कारण कार्यों की प्रगति नहीं हो सकी जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।